(3)

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–95/2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

सान्दु भेंगरा..आवेदक/विक्रेता } प्रथम पक्ष

दीपक तिग्गा.. क्रेता

वनाम्

राज्य सरकार..द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
31.01.2024	**आदेश**	

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सान्दु भेंगरा पिता/पति स्व0 साहेवा भेंगरा ग्राम–चुरगी, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:–

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
चुरगी	50	35	692	0.10

आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सान्दु भेंगरा पिता/पति स्व0 साहेवा भेंगरा ग्राम–चुरगी, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी को हल–बैल खरीदने हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती दीपक तिग्गा पिता/पति लच्छु तिग्गा ग्राम–जागु, पो0–रायशिमला, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी को बिक्री करना चाहते/चाहती है।

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए।आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र तथा खतियान की छाया प्रति एवं लगान की रसीद 0211231966 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की बिक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 703 दिनांक 19.12.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, तोरपा के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम सनिका गुण्डा वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के परपोता हैं। प्रश्नगत भूमि की

(६)

ऑनलाईन पंजी॥ के भाग सं0 1 के पृष्ट सं0 36 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को हल–बैल खरीदने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, तोरपा के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य एवं एक ही जिला के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 71 दिनांक 12.12.2023 के साथ अंचल अधिकारी, तोरपा के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHCST/2022/390325 दिनांक 05.11.2022 एवं आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHLRCO/2022/577479 दिनांक 30.09.2022 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया हैं।

अतः अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 703 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सान्दु भेंगरा पिता/पति स्व0 साहेबा भेंगरा ग्राम–चुरगी, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती दीपक तिग्गा पिता/पति लच्छु तिग्गा ग्राम–जागु, पो0–रायशिमला, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी के साथ ग्राम चुरगी के खाता सं0 35, खेसरा संख्या 692, रकवा 0.10 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

31/01/24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by ARVIND KUMAR OJHA
Date: 2024.02.07 13:45:05 +05:30
Location: 192.168.1.103